न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 179 / 2019

1. श्री छोगा लाल पुत्र लादू राम जाति गुर्जर निवासी कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादी

बनाम

1. श्री रामा पुत्र बुधा जाति जाट निवासी कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

...... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एंव 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभि0 वादी

–: निर्णय :– दिनांक 11.02.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एंव 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा के वर्किंग जमाबदीं खाता संख्या 235 खसरा संख्या 2229 रकबा 05–17–00 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री बुधा पुत्र धूला जाति जाट की तन्हा खातेदारी आधिपत्य की रही है। जिनसे वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय बेमाना दिनांक 27.06.1980 को विक्रय की जाकर भौतिक अधिपत्य प्रदान कर दिया गया जिनके वर्तमान खसरा संख्या 1015 एंव 1018 बने है। वादी ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित कृषक होने से विधिक प्रकिया की जानकारी के अभाव में उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम का नामान्तकरण नहीं करवा सके। मूल बैचानकर्ता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकार के विरासत से उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सहवन [illegible] आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 के यहां रहन हो जाने से वादी का नामान्तकरण [illegible] हो पाया। अत: उक्त वाद पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वादी को वर्तमान [illegible] खातेदार काश्त[illegible]षित करते हुए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर पीसागन
सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

मैनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को निर्देश दिये जाते हैं कि वह ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 1015 के रकबा 0.30 है. एंव खसरा संख्या 1018 के रकबा 0.65 है. प्रतिवादी 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार का अकंन किया जावे बैंक के रहन का अकंन विलोपित किया जावे । प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मांगलियावास तहसील पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रतिवादी संख्या 1 के रहन का अकंन उसके अन्य तन्हा खातेदारी में किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:25 IST
Reason: SelfAttested